



REET 2025 LEVEL-2



वंदन बैच POLITY

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद



LIVE

22-01-2025 07:00 PM

प्रधानमंत्री & मंत्रिपरिषद्

Prime Minister & Council of Ministers

संविधान के भाग - 5

अनुच्छेद 74, 75

अनु. 74 → राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी
मंत्रिपरिषद् का मुखिया/प्रधान - प्रधानमंत्री होता है।

44वां संविधान संशोधन - 1978 के तहत राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद्
द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लेना
सकता है।

→ मंत्रिपरिषद् द्वारा दि गार्ड समाह की सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती
नहीं ही जा सकती

अनु. 75

→ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रिपरिषद्

की नियुक्ति करता है।

- ① मंत्रियों की नियुक्ति → राष्ट्रपति
- ② विभागों का खर्चारा → प्रधानमंत्री

अनु. 75(1-A)

→ 91 वॉ संविधान संशोधन 2003 के तहत लोकसभा व विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाये जा सकते ।

अनु. 75(1-B)

→ 91 वॉ संविधान संशोधन - 2003 के तहत इलकुइल अपोजु टपसि को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है ।

अनु 75(2) → मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल

→ मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रासादपर्यन्त
होता है।

Note → मंत्रिपरिषद् व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी
होती

↓
संविधान में उल्लेख नहीं

अनु. 75(3) → मंत्रिपरिषद् सांख्यिक रूप से लोकसभा के प्राति
उत्तरदायी होती है।

→ मंत्रिपरिषद् का एक साथ इधना व एक साथ तैरना

आर० = 81 → सांख्यिक = लोकसभा।

अनु. 75(4) → शपथ

अनुच्छेद 3 के तहत प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद् की शपथ
राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।

उपधानमंत्री व मंत्रिपरिषद् की शपथ

पद के प्रति शपथ

यह शपथ कतारों के इमानदारी
से निर्वहन करने के लिए
दिलाई जाती है।

गोपनीयता की शपथ

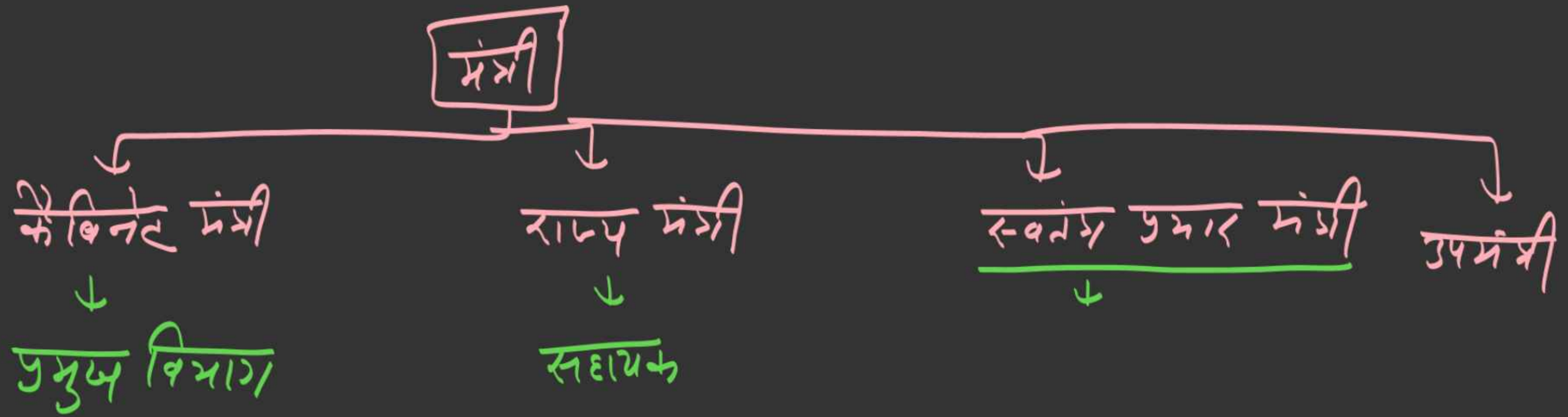
यह शपथ मंत्रिमंडल के
निर्णयों को गुप्त रखने
के लिए दिलाई जाती है।

अनु. 75(5) - चोखता

मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना चाहिए जोर
घड़ी नहीं है तो प्राह के भीतर-भीतर संसद की सदस्यता
लेना अनिवार्य है अन्यथा मंत्री पद स्वतः ही समाप्त हो
जायेगा।

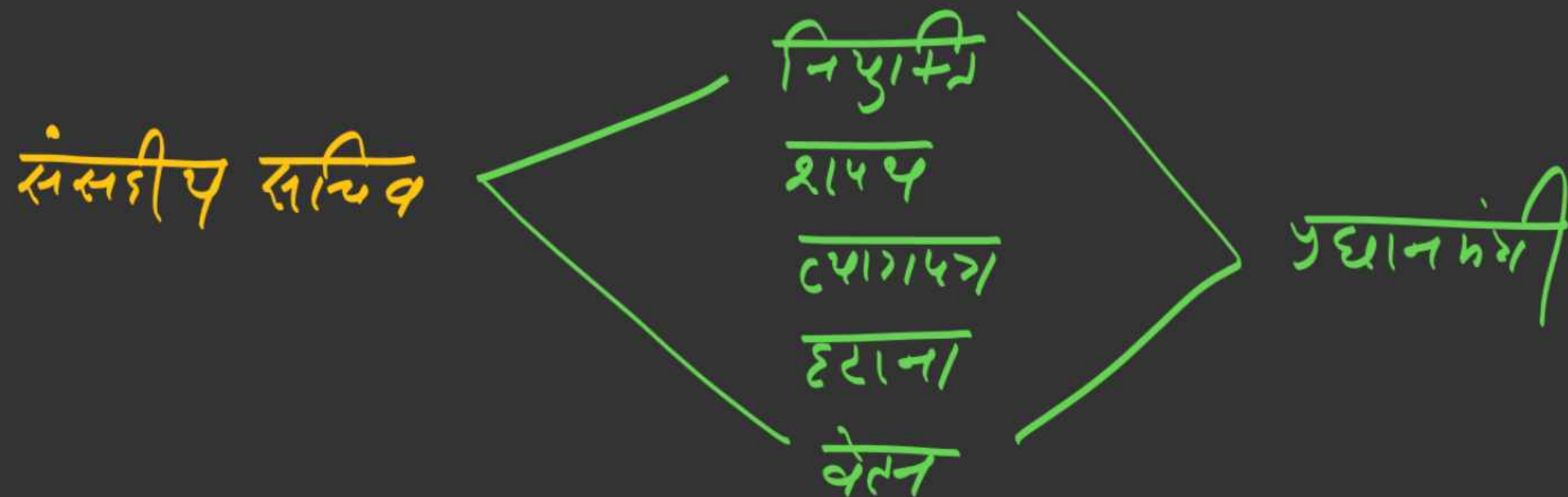
अनु. 75(1) → वेतन - भत्ते

संसद द्वारा सदस्यों का वेतन-भत्ता निर्धारित किया जाता है।



* मंत्रिमंडल → भारत के मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत केवल अनु. 352 में किया गया है।

મંત્રિમંડલ → કેબિનેટ મંત્રી
મંત્રિપરિષદ → સચી મંત્રી



प्रथम केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्

First Union Council of Ministers

→ **36 मंत्री**

→ **36 Ministers**

प्रथम महिला मंत्री

First Woman Minister

→ **अमृता देवी [स्वास्थ्य मंत्री)**

→ **Amrita Devi [Health Minister)**

प्रथम विधि मंत्री

First Law Minister

→ **डॉ B.R. आंबेडकर**

→ **Dr. B.R. Ambedkar**

प्रथम निर्विभाग मंत्री

First Non-Portfolio Minister

→ **N. गोपाल स्वामी आयंगर (1947-48)**

→ **N. Gopal Swami Iyengar (1947-48)**

सर्वाधिक समय तक मंत्री → जगजीवन राव (32 YEARS)
Minister for longest time → Jagjivan Rao (32 YEARS)

न्यूनतम समय के लिए मंत्री → H.R. खन्ना (1979) 5 day.
Minister for shortest time → H.R. Khanna (1979) 5 days.

सर्वप्रथम त्यागपत्र → श्यामा प्रसाद मुजर्जी
First resignation → Shyama Prasad Mujerji

मनोनित सदस्य को भी मंत्री बनाया जा सकता है।
Nominated member can also be made minister.

pm के कार्य / functions of pm

- तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख
- Political head of the three armed forces
- देश का वास्तविक प्रमुख
- De facto head of the country
- मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह
- Advises the President in the appointment of ministers

- **मंत्रियों में कार्य आवंटन**
- **Allocation of work among ministers**
- **मंत्रिपरिषद् की बैठको की अध्यक्षता**
- **Presides over the meetings of the Council of Ministers**
- **लोकसभा में सदन का नेता**
- **Leader of the House in the Lok Sabha**
- **राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह देगा**
- **Advises the President to dissolve the Lok Sabha**

PM निम्न के अध्यक्ष होते है.

The PM is the chairman of the following:

- i. अन्तर्राज्यीय परिषद / Inter-State Council ✓
- ii. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान / Scientific and Industrial Research ✓
- iii. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद / National Water Resources Council ✓

iv. निति आयोग / NITI Aayog ✓

v. राष्ट्रीय विकास परिषद / National Development Council

vi. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद / National Security Council ✓

vii. राष्ट्रीय एकता परिषद / National Integration Council ✓

वे प्रधानमंत्री जो राज्यों के CM रहे-

Those Prime Ministers who were CMs of states-

मोरारजी देशाई - बॉम्बे राज्य ।

Morarji Desai – Bombay State.

V.P. singh – UP

V.P. Singh – UP